



RANCHI UNIVERSITY,
RANCHI

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 5/वि1-79/2014/1338 दिनांक 09.05.2017 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय अन्तर्गत बेथेसदा विमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राँची को बी0एड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2017-2019, 2018-2020 एवं 2019-2021 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जाती है :-

2. महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि-

- (क) माँ वैष्णोदेवी महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या WP (C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कंडिका -71 में अंकित निम्न निदेशों का अनुपालन संबंधित महाविद्यालय सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- (i) छात्रों के नामांकन की पात्रता,
(ii) परीक्षा का संचालन,
(iii) विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,
(iv) एन0सी0टी0ई0 द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।
- (ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कमियों/त्रुटियों के पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन।
(ग) AISHE portal पर data को upload करना
(घ) IQAC का गठन

कुलपति के आदेशानुसार
ह/-
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची
दिनांक 09.05.2017

पत्रांक GE/-3460

प्रतिलिपि-

1. प्राचार्य, बेथेसदा विमेन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राँची,
2. संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
3. परीक्षा नियंत्रक, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
4. प्रो0-इन-चार्ज, टेबुलेशन सेंटर, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
5. उप-कुलसचिव -I, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
6. सहायक कुलसचिव - III, पंजीयन शाखा, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
7. कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

कुलसचिव 9.5.17
राँची विश्वविद्यालय, राँची
(31.01.17)